(240)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0
कैम्प रीवा, सम्भाग रीवा (म0प्र0)

कैलाश पिता शिवभजन शाहू उम्र 75 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम–ढोंगा, तहसील–देवसर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

— **आवेदक**

R-2793-I/12

बनाम

1. ददऊ पिता हिच्छोली शाहू उम्र 60 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम–ढोंगा, तहसील–देवसर, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन

— **उत्तरवादीगण**

अधिवक्ता श्री ललन पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि0 30-07-2012
30/7/12

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न, जिला–सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र0 69/निगरानी/2006–07 आदेश दिनांक 30/05/2012

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्न निगरानी पेश है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यहकि ग्राम ढोगा तह0–देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1322 रकवा 0.21 हे0 म0प्र0 शासन की भूमि है, जिसके वावत् हल्का पटवारी ढोगा तह0–देवसर जिला–सिंगरौली द्वारा कृषि वर्ष 2003–04 मे 0.20 हे0 पर कैलाश तेली एवं 0.01 हे0 पर ददऊ तेली के अतिक्रमण वावत् दिनांक 12/11/2003 को धारा 248 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 के तहत् ग्राम न्यायालय ढोगा ज.पं. देवसर जिला–सीधी में रिपोर्ट पेश किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम न्यायालय ढोगा मे राजस्व प्र.क्र. 4/अ–68/2004 पर प्रकरण संस्थित कर उभयपक्ष की सुनवाई पश्चात् एवं स्थल निरीक्षण पश्चात् दिनांक 26/02/2004 को 250/–रूपये अर्थदण्ड से कैलाश साहू को एवं 250–रूपये अर्थदण्ड से ददऊ शाहू को दण्डित कर स्थल से बेदखल करने का आदेश दिया गया।

(२५०)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2793-I / 12 | जिला सिंगरौली

कैलाश साहू/ ददऊ साहू

(1)	(2)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री ललन कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 69/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.05.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य